अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक. एफ 23( ) स्था./निकाशि/RVRES/2012/465 दिनांक 22/07/13

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय

भोपालगढ/नादोती /जैतारण/कन्या नीमकाथाना/पोकरन/उनियारा/आमेट/बांदीकुई/चौमू/ कन्या कोटपुतली / कन्या नाथद्वारा/ कन्या पीपड सिटी/रामगंज मण्डी/ सादुलशहर/कन्या बालोतरा/ बांरा/कन्या बांरा/ बाडमेर/ कन्या बूंदी/कन्या चित्तौडगढ/कन्या दौसा/धौलपुर/ जालोर/झालावाड/ कन्या झालावाड/करौली /मेड़ता सिटी/कन्या नागौर/प्रतापगढ़/कन्या सवाई माधोपुर/कन्या सिरोही/सुजानगढ़/राजगढ

विषय :- RVRES व्याख्याताओं के रिफेशर/ ओरियेन्टेशन कोर्स से मम्बन्धीत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ. 23 ( )स्था/आकाशि/RVRES/ 12/378 दिनांक 17.5.2013 तथा 427 दिनांक 6.6.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र के क्रम में वांछित RVRES व्याख्याताओं के रिफेशर/ओरियेन्टेशन कोर्स के सम्बन्धित सूचना मय वित्तीय भार निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 20.6.2013 तक आवश्यक रूप से भिजवाई जानी थी। इस सम्बन्ध में उक्त महाविद्यालय के प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 26.7.2013 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। यदि आपके महाविद्यालय में वित्तीय भार शून्य है तो शून्य की सूचना भिजवाये तथा निदेशालय के फैक्स नम्बर 0141-2702247 पर फैक्स कर सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

अतिरिक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

क्रमांक. एफ 23( ) स्था./निकाशि/RVRES/2012 दिनांक

प्रतिलिपि -

श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता एवं वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

1

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.23(   )स्था/निकाशि/RVRES/2012/378 दिनांकः–17-05-13

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः– RVRES व्याख्याताओ के रिफ्रेशर/ओरियेन्टेशन कोर्स से सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 (RVRES) के तहत नियुक्त हुये ऐसे शैक्षणिक कार्मिक जो वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान ओरियेन्टेशन व रिफ्रेशर कोर्स नहीं करने के कारण रूके हुए है व किस तिथि से रूके हुये है तथा 31.12.2013 तक ओरियेन्टेशन व रिफ्रेशर कोर्स करने पर देय वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान पर अनुमानित कितना वित्तीय व्यय भार आना सम्भावित है , की सूचना दिये गये प्रोफार्मा में शीध्र उपलबध करावें ।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	विषय	वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान किस दिनांक से रूका हुआ है	वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान पर कितना वित्तीय भार आयेगा
1				
2				
3				

नोटः– यह सूचना केवल जिन महाविद्यालयों में RVRES 2010 के तहत व्याक्ख्याता नियुक्त किये गये है केवल उन्हीं के द्वारा दी जानी है। जिन महाविद्यालयों में RVRES स्टाफ नहीं है व सूचना शून्य हो तो सूचना प्रेषित नहीं की जावें।

उप निदेशक (कार्मिक)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

प्रतिलिपिः–
1. डॉ.धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

उप निदेशक (कार्मिक)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

(2)

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ23( )स्था/आकाशि/आर.वी.आई.एस./12/527 दिनांकः 6/6/2013

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– आरवीआरईएस. व्याख्याताओं के रिफ्रेशर/ओरियेन्टेशन कोर्स संबंधी सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ23( )स्था/आकाशि/आर.वी.आई.एस. /12/378 दिनांक 17–5–13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्रम में वांछित आरवीआरईएस. व्याख्याताओं के रिफ्रेशर/ओरियेन्टेशन कोर्स संबंधी सूचना मय वित्तीय भार निर्धारित प्रपत्र में अभी तक जिन महाविद्यालयों द्वारा प्रेषित नहीं की गयी है, वे दिनांक 20–6–13 तक आवश्यक रूप से वांछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

उप निदेशक(कार्मिक),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान;
जयपुर।

प्रतिलिपि श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता एवं वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज0,जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित हैं।

उप निदेशक(कार्मिक)

कोड नं०.......